





Delhi Gazette

EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi 205]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2012/अग्रहायण 30, 1934

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 220

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2012/AGRAHAYANA 30, 1934

[N.C.T.D. No. 220

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012

सं. फा. 7(180) डीओएफएस प्रशा. /2012/8030-45.— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 36 की उप-धारा (1) के अनुसरण में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके द्वारा निम्निलिखित पदनामित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों के लिए पदनामित अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

- 1. श्री बलजीत सिंह
- 2. श्री मुकेश कुमार गुप्ता

के. जी. आर. बर्मन, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY NOTIFICATION

Delhi, the 21st December, 2012

No. F. 7(180)/DoFS/Admn./2012/8030-45.—In pursuance of sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Commissioner of Food Safety, National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following as Designated Officers under the Food Safety and Standards Act, 2006 for the entire area of National Capital Territory of Delhi, namely:—

- 1. Baljit Singh
- 2. Mukesh Kumar Gupta
- K. J. R. BURMAN, Commissioner (Food Safety)